

पंडित वकील लखीम उपाय पुनर्निर्माण कहे
हुनी गई। पत्रावली चले निर्णय दि
॥५॥१४ के केशरी पिपु

" १४ वकील लखीम उपाय बहस पर मनगडिग
गमा तथा पत्रावली का अवलोकन किया था।
विवादित भूमि के सम्बन्ध में द्वारा न्यायालय
रज्जा में विवादाधीन है तथा भूमि प्राथमिक
रीट या अपील गवनी है, इसका फैसला
द्वारे में सम्पूर्ण पुनर्निर्माण के पश्चात्,
हुनाम्नानुसार के आधार पर किया जायेगा।
एव ही नाम के एव ही ग्राम में ही स्थिति
अलग-अलग जाते हैं इनके प्यारण
पुथम ईश्वरमा श्रीमाला किली के पंडा में भी
नही बनवा है, कलजे के सम्बन्ध में
भी दोनों पक्षों का अपना-अपना दावा
है लेकिन किली में पंडा का नै किली की
अर्ज गराह के पत्रान नही - पत्रावली में
जिले का कलजे के सम्बन्ध में भी
किली निर्णय पर पश्चात् मुद्रिक ल है।
दावे में निर्णय के पत्रावली में लपट
होप्रायेगा कि विवादित भूमि का वास्तविक

पिपु

हकदार पौन है तथा कौन जाति विवाहित
 भूमि पर कब्जा काबू करवा चला आ
 रहा है। इसलिये उपरोक्त विवाहादे
 अनुष्ठा मामले की पुष्टि कर देकर
 हुए गर्भना पत्र गर्भाशय एवं फोड नर
 T-I अन्वेषी गणना हवीकर डिप्टिजाने
 प्रेष्य है।

अता गर्भना पत्र गर्भाशय-एवं
 अन्वेषी गणना फोड नर T-I लीक
 किया जाता है। उभय पक्षकारान की
 जाति अलार्ड निपेक्षा का से हाफेसला
 शवा साकंड डिमा जाता है कि के विवाहित
 भूमि ख. नं. 208/3 रकबा 4 बीघा 14 पिटका
 पाने शम गांवहा की मौके व रिफरि
 की भया रिफरि कनामे रखा निर्जिर लरे
 इजलास जुनामा जाफा लिखाप गमा
 पत्रावली फलल पुठुमा लेक नमक ले
 कम र तथा शामिल दाश रहे।

14/4
 उप जिला कलक्टर
 सपोटरा, जिला-करौल